न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 22/2021

अपीलांट

1 जवाना राम पुत्र चमनाराम जाति पुरोहित, निवासी सायल, तहसील सायला जिला जालोर।

2 हकमानाराम पुत्र चमनाराम, जाति पुरोहित, निवासी सायल, तहसील सायला जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. उदाराम पुत्र पुनमाराम, जाति प्रजापत, निवासी थलवाड़, तहसिल सायला, जिला जालोर।
2. हबता पुत्र बादरा के वारिसान
    1. पहाडाराम(पहाडसिह)(फौत) पुत्र हबता
    2. मंजू देवी पत्नी पहाडसिंह
    3. सीमा पुत्री पहाडसिंह
    4. नाबालिग भावना पुत्री पहाडसिह
    5. नाबालिग हितेश पुत्र पहाडसिहं सरंक्षक माता मंजू देवी पत्नी पहाडसिह
    6. शकरलाल पुत्र हबताराम
    7. अर्जूनसिह पुत्र हबताराम
    8. शातिदेवी पत्नी हबताराम
3. ब्लंबता पुत्र भमरा
4. सुरज देवी पत्नी धर्मराज
5. जगीया पुत्र भमरा
6. छोगा पुत्र पीरा
7. हड़मतसिंह पुत्र सरदारा
8. जब्बरसिंह पुत्र सरदारा
9. मोहरसिंह पुत्र सरदारा
10. खीमसिंह पुत्र सरदारा, जातियान पुरोहित निवासीगण सायला, तहसील सायला, जिला जालोर
11. भूमिधारी तहसीलदार सायला

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री विक्रमसिंह राव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 01-04-2021

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2011 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.01.2021 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद खातेदारी हक की घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था, जिसमें अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अंडरटेकिग दी गई थी जिसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक्स पार्टी की गई जिससे व्यथीत होकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई। साथ ही निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र एव साक्ष्य के बिना ही रेस्पो0 संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत वाद मे लिखित तथ्यों को सही मानते हुए उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है। जिसमे अपीलांट को अपनी सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राथमिक डिक्री जारी की जो निरस्त योग्य है। अदालत मातहत् ने रेस्पो0 सख्या 01 पीडब्लयू 01 ने अपने बयानो में स्वयं द्वारा मातहत अदालत के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाये हे। पीडब्लयू 02 मदनलाल ने रेस्पो0 संख्या 1द्वारा कहे गयो कथनों की ही पुनर्रावर्ती कर रेस्पोडेन्ट सेख्या 01 के बयानो की ताहिद की है। गवाह मदनलाल ग्राम थलवाड का निवासी है तथा उक्त आराजी सायला में स्थित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जिसका सम्पूर्ण विवरण दिया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी अनुसार रेस्पो0 संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत गवाह मदनलाल के बयान संदेहास्पद लगते हे। एव0 उसके बयानों के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित नहीं हे। गवाह जबरसिंह व घेवरचन्द ने रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में बयान दिये है। क्योकि रेस्पो0 सेख्या 1 व अन्य पक्षकारों ने कूसंयोजन कर उक्त वाद हम अपीलान्टस् के विरूद्ध पेश किया है। तथा उक्त वाद में रेस्पो0 सेख 01 व अन्य पक्षकारान ने मिलकर हम अपीलान्टस् के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करवाकर बाला–बाला गलत रूप से जैर अपील निर्णय प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। जिसके खिलाफ अपीलाट द्वारा हाजा न्यायालय अपील दिनांक 25.03.2021 को पेश की गई, जबकि पूर्व में ही उक्त प्रकरण में दिनांक 17.03.2021 को अतिम डिक्री जारी की जा चुकी है, जिसकी जानकारी अपीलांट को थी क्योकि अपींलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में उक्त वाद मे अतिंम निर्णय हेतु अतिंम लिखित बहस दिनांक 15.03.2021 को प्रस्तुत की गई थी। साथ ही यह भी बताया की अपीलांट ने मात्र उक्त अपील प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय के खिलाफ पेश की है तथा हाजा अदालत मे झूठे कथन वणित कर अपील प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। तथा अदालत हाजा द्वारा स्थगन आदेश में निर्देशों की पालना में आज दिनांक तक वकील अपीलांट द्वारा आदेश 39 नियम 03 की पालना नहीं की गई है। जिससे भी प्रभावी आदेश स्वतः ही निरस्त हो चुका है। उक्तानुसार प्राथमिक डिक्री की अपील अपने आप में ही शुन्य हो जाती है एवं मेनटेलेबल नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री यथावत रखी जावे।

बहस पर मनन किया किया। प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह ज्ञात हुंआ कि रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ नयायालय के आदेशिकाएं तथा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

22/2021

(जवानाराम) ~~बाबू~~ वगैरह बनाम ~~मगीया~~ (उदाराम)

पेज संख्या 4/4

आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 11.01.2021 व 17.03.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि से यह स्पष्ट है कि अपिलांट ने मात्र प्राथमिक डिक्री के खिलाफ़ अपील प्रस्तुत की है। तथा अंतिम डिक्री न्यायालय तहत् द्वारा दिनांक 17.03.2021 को अंतिम रूप से पारित की जा चुकी है इस प्रकार दिनांक 11.01.2021 से दिनांक 17.03.2021 तक अपीलांट ने अधिनस्थ नयायालय द्वारा संपादित की गई प्रस्तुत प्रकरण की तमाम कार्यवाहियों में भाग लिया है जो अपीलांट का उक्त कृत्य अंतिम डिक्री की जानकारी होना प्रकट करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिकी एवं निर्णय दिनांक 11.01.2021 को जारी की गई एवं अतिंम डिकी एवं निर्णय दिनांक 17.03.2021 को जारी हो चुकी है। तो उक्तानुसार हाजा न्यायालय में प्राथमिक डिक्री के खिलाफ उक्त अपील मेन्टेबल नहीं हो सकती है। उक्तानुसार उक्त अपील विधिअनुसार हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखंड अधिकारी, सायला द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2011 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.01.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब भिजवायी जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय आज दिनांक 15-04-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

15-04-2021